"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3.—यत:, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) में उपबंधित है कि संभाग या जिला स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में किसी स्थापना में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों के ऐसे प्रवर्गों में उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए.

यत:, उपरोक्त उल्लिखित खण्ड के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने संभाग तथा जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्गों में पूर्व में लागू आरक्षण प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 3 के उप-नियम (1) एवं (2) में अनुसूची एक और दो में निर्धारित मॉडल रोस्टर को अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29-11-2012 जारी कर राज्य में लागू नये आरक्षण प्रतिशत के अनुसार निर्धारित मॉडल रोस्टर से प्रतिस्थापित किया है;

और यत:, संभाग तथा जिला स्तर पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत, उक्त अधिसूचना की अनुसूची-दो में सारणी के कॉलम (2) में दर्शित संभाग एवं उनके अंतर्गत आने वाले कॉलम (3) में दर्शित तत्स्थानी जिलों के लिए उनके समक्ष कॉलम (4) में निर्धारित है;

और यत:, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने इस आशय की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर विचार किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अधीन आने वाले जिलों में कतिपय उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी;

अतएव, संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्यिों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अधीन आने वाले जिलों में अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की अनुसूची-दो के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट किसी जिला स्तरीय स्थापना में तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत, निम्नलिखित उपांतरण के साथ लागू किया जाये, अर्थात् :—

"यह कि, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में उक्त अधिसूचना के कॉलम (4) के अधीन प्रत्येक भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति, विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजातियों से संबंधित आवेदकों के बीच से की जाएगी तथा ऐसे आवेदकों का चयन भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना किया जाएगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 21 मई, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

New Raipur, the 21st May 2013

NOTIFICATION

No. F 13-19/2012/R.C/1-3.—Whereas, clause (ii) of sub-section (2) of Saction 4 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchut Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargoan Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) provides that the reservation of percentage of vacancies arising in a recruitment year in the reserve categories of Class-III and Class-IV posts in an establishment at the divisional or district level shall be such as may be notified by the State Government;

Whereas, in exercise of the powers conferred under the above mentioned clause, the State Government has substituted earlier applicable percentage of reservation model roaster prescribed under Schedule I and II under sub-rule (1) and (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargoan Ke Liye Arakshan) Niyam, 1998 with model roaster prescribing new percentage of reservation by way of issuing Notification No. F. 13-14/2009/Aa.Pra/1-3 Dated 29-11-2012 for direct recruitment to the posts/cadres at divisional and district level;

And whereas, the percentage of reservation for Scheduled Tribes in the posts in class-III and class-IV at divisional and district level to be filled by direct recruitment is specified in column No. (4) for corresponding districts shown in column (3) coming under division shown in column No. (2) of the table in Schedule-II of the said Notification;

And whereas, the Governor of Chhattisgarh has considered it necessary to issue notification to the effect that subject to certain modifications, the Notification No. F 13-14/2009/Aa.Pra/1-3 dated 29-11-2012 issued by GAD shall be applicable in the districts falling under the scheduled area of the State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of para 5 of the Fifth Schedule of the Constitution, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the percentage of reservation in the vacancies arising in Class III (Non-Executive) and Class IV posts in any establishment at district level specified in column (4) of Second Schedule of the Notification F-13-14/2009/Aa.Pra/1-3 Dated 29-11-2012 shall be applicable to the district falling under scheduled area of the State with the following modification, namely :—

"That, upto 20% of the posts, out of the posts reserved for the Scheduled Tribes in the vacancies arising in a recruitment year under column (4) of the said Notification in the districts falling under scheduled area, shall be filled up from among the applicants belonging to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) e.g. Hill Korwa, Baiga, Kamar, Abujh Maria, Birhor, Bhunjiya and Pando tribes and such applicants shall be selected without following the procedure prescribed under relevant service rules for the recruitment."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.